

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय- कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.व्ही. राब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं.+91 8225021555क्र.का.अ./सिविल ट्रांस./ 23-24/ **248**  
प्रति,कांकेर, दिनांक:- **28-7-23**वनमण्डलाधिकारी  
केशकाल, वनमण्डल केशकाल

**विषय:-** Diversion of Forest Land for non Forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed in favour of CSPTCL for 132/33 KV Sub-Station area 3.24 ha. at Keshkal Forest Division in District Kondagaon in the State of Chhattisgarh - reg. - पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Sub-Station/145115/2021

**संदर्भ:-** 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक FC-I/IROCH-21/2023/1446 (A) Dated 03/07/2023  
2. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2022-23/4812 केशकाल, दिनांक 13/07/2023

\*\*\*\*\*

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के संदर्भित पत्र -1 द्वारा कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, छ.ग. विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, कांकेर को कोण्डागांव जिले के ग्राम जामगांव में 132/33 के.व्ही. सब स्टेशन स्थापित करने हेतु 3.24 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

| क्र. | शर्त क्रमांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पालन प्रतिवेदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Legal status of the forest land shall remain unchanged.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विभाग वन भूमि की कानूनी स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगा, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2    | <b>Compensatory afforestation</b><br><br>(a) Compensatory afforestation shall be taken up by the User Agency carried out in non-forest land of 3.24 ha. in khasra No. 92 at Beat- Ghotulmunda, Range - Durgukondal, Village- Ghotulmunda, District- Kanker at the cost of the User Agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species along with 10% RET species of Kanker District shall be planted and monoculture of any species may be avoided. | गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित क्षेत्र के बदले पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के अंतर्गत ग्राम -- घोटुलमुण्डा, खसरा नं. 92 रकबा 3.240 हे. में उपलब्ध कराई गई राजस्व भूमि पर स्थानीय स्वदेशी प्रजाति के वृक्षारोपण हेतु विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि 31,31,998 एवं सबस्टेशन वन भूमि हेतु NPV की राशि 46,54,810 इस प्रकार कुल राशि 77,86,808 ई-चालान के माध्यम से दिनांक 26.07.2023 को कैम्पा मद में जमा की गई है एवं उपलब्ध कराई गयी राजस्व भूमि पर किसी प्रकार का मोनोकल्चर का कार्य नहीं किया जायेगा। सहमत, वचन पत्र |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | (b) The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927. Or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval:                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रकरण के विरुद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई राजस्व भूमि 3.240 हे. को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण विद्युत विभाग द्वारा करावा दी जायेगी, जिसके लिए विद्युत विभाग वचनबद्ध है।<br>प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त राजस्व भूमि को RF/PF के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु अधिसूचना प्रारूप तैयार वन विभाग द्वारा की जावेगी। सहमत, वचन पत्र संलग्न है। |
| 3 | The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.                                                                                                                                                                                                                                 | वर्तमान में प्रचलित 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण के दर के अनुसार वृक्षारोपण की राशि ई-चालान जनरेट कर कैम्पा मद में जमा की गई है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित (चिन्हित) राजस्व भूमि के सीमांकन के लिये पिल्हर्स लगाये जाने हेतु राशि की मांग की जाती है तो मांग के अनुसार राशि जमा करने के लिये विद्युत विभाग वचनबद्ध है। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                      |
| 4 | Number of plants to be planted over Non-Forest Land identified for CA, shall be at least 1000 plants per hectare. If the requisite number of plants@1000/ha cannot be planted on the non-forest land identified for taking up CA, then the balance number of the plants will be planted in degraded forest land as per the provisions of working plans. The State government will intimate to the MoEF&CC the names of the R.F./P.F. in which the balance seedlings will be planted. The User Agency will deposit the cost of planting (including maintenance for ten years). The forest department shall provide the details of plantation of remaining plants along with compliance report. | वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित राजस्व भूमि में निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य कराया जावेगा। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | <b>NPV:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | (a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 3.24 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 30/10/2022 के निर्देशानुसार व्यपवर्तित वनभूमि 3.240 हे. के लिये (ECO CLASS -I) सघन वन प्रति हेक्टेयर के लिये निर्धारित दर 14,36,670 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से कुल राशि 46,54,810.00 को R.T.G.S क्र. R52023072662995380 दिनांक 26.07.2023 को                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, letter No. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 and letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 22.03.2022 in this regard:                                                                                            | कैम्पा निधी के A/c No 1506473145115627 में जमा की गई है। चालान की प्रति संलग्न है। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | (b) Additional amount of NPV of diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State from the user Agency. The user Agency shall furnish an undertaking to this effect:                                                          | प्रकरण के विरुद्ध गैर वानिकी कार्य के लिये व्यपवर्तित वन भूमि रकबा 3.240 हे. के लिए निर्धारित प्रत्याशा मूल्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्याशा मूल्य की गणना की जाती है तो अन्तर की राशि को राज्य सरकार या वन विभाग द्वारा मांग की जाती है तो विद्युत विभाग पुनरीक्षित प्रत्याशा मूल्य के अन्तर की राशि को जमा करने हेतु बाध्य है। सहमत, वचन पत्र संलग्न है। |
| 6  | The Total project affected trees are 160 comprised of 77 trees above 90 cm girth and the remaining 83 trees below 90 cm girth class. Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the state forest department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the state forest department. | परियोजना से प्रभावित कुल 160 नग पेड़ों की कटाई तभी की जावेगी, जब यह अपरिहार्य हो। पेड़ों की कटाई हेतु वन विभाग द्वारा विदोहन योजना के अनुसार राशि की मांग किये जाने पर विद्युत विभाग जमा करने के लिये वचनबद्ध है। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                    |
| 7  | All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> )                                                                                                                                                                            | परियोजना के तहत उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा समस्त राशि को कैम्पा मद में जमा की गई है। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | The distribution line from the substation should be up to 7 metres (22 to 23 feet)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सबस्टेशन से वितरण लाईन 7 मीटर की उंचाई से कम नहीं रखा जायेगा इस हेतु छ.ग.स्टेट पॉवर ट्रांस.कं.लिमि. वचनबद्ध है। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | The wires from the substation to the distribution lines should be insulated cables to prevent hooking by rural farmers. Thereby preventing the possibility of elephant death.                                                                                                                                                                                                 | सबस्टेशन से निकलने वाले वितरण लाइनों से तारों को इन्सुलेटेड करने हेतु छ.ग.स्टेट पॉवर ट्रांस.कं.लिमि. वचनबद्ध है। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | The boundary wall of the substation must be elephant proof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कार्य प्रारंभ होने के उपरांत उपकेन्द्र के बाउंड्री वॉल को हाथीरोधी बनाने हेतु छ.ग.स्टेट पॉवर ट्रांस.कं.लिमि. वचनबद्ध है। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | The State Government of Chhattisgarh Nodal Officer (FCA). Forest Department of                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule 9 (6) (b)(ii) of Forest (Conservation) Rules, 2002 dated 28.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | निवासियों (वन अधिकारों की बाध्यता) अधिनियम 2006 में दी गई दिशा निर्देशों/अधिनियमों के पालन पश्चात् ही विभाग भूमि सौंपने का आदेश जारी करेगा, जिसके लिये विद्युत विभाग सहमत है। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | To improve the Forest/Tree Cover and to reduce pollution in the state as mandated in National Forest policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986 respectively the User Agency in consultation with local DCF shall raise at least 1500 seedlings of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local for 10 years. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in the vicinity of project area including forest area and for hand holding with local people residing in vicinity of proposed road. User Agency shall voluntarily distribute remaining 50% of seedlings as per choice of villagers free of cost. A compliance report including species wise details of seedlings raised. Location of plantation area and details of villagers whom seedlings have been distributed need to be prepared every six month and submitted to Regional Office of MoEF&CC | प्रदूषण को कम करने में वन आवरण में सुधार के लिये बनाई गई अधिनियम के परिपालन में वन विभाग के निर्देशानुसार 1500 फलदार, बांस, औषधीय स्वदेशी प्रजाति के 10 वर्षीय रखरखाव सहित वृक्षारोपण का कार्य परियोजना क्षेत्र के आस पास के क्षेत्र में स्थानीय लोगों के मदद रोपण का कार्य करेगा, इसके अतिरिक्त अन्य शर्तें भी विद्युत विभाग को मान्य है। जिसके लिये विद्युत विभाग वचनबद्ध है। सहमत, वचन पत्र संलग्न है। |
| 13 | User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | आवश्यक होने पर प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की जावेगी, जिसके लिये विद्युत विभाग वचनबद्ध है। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 | The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | राज्य सरकार के बिना अनुमति पूर्व स्वीकृत परियोजना के ले-आउट प्लान में परिवर्तन नहीं की जावेगी। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 | No Labour camp shall be established on the forest land;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं की जावेगी। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 | Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the forest department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रस्तावित सब स्टेशन के कार्य प्रारंभ होने पर काम करने वाले श्रमिक/कर्मचारियों को वैकल्पिक रूप से ईंधन की आपूर्ति की जावेगी। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वनमण्डलाधिकारी के निर्देशानुसार व्यपवर्तित वन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.                                                                                                                   | भूमि के बाउंड्रीवॉल को परियोजना व्यय अनुरूप उपयुक्त रूप से चिन्हांकित किया जावेगा। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                        |
| 18 | No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work:                                              | परियोजना कार्य में वनभूमि पर कोई भी अतिरिक्त या नवीन मार्ग निर्माण नहीं किया जावेगा। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                      |
| 19 | The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;                      | प्रत्यावर्तन प्रकरण में लीज़ या परियोजना जीवन हेतु शर्त छ.ग.स्टेट पॉवर ट्रांस.कं.लिमि. को मान्य है। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                       |
| 20 | The forest land shall not be used for any purpose other than that specification in the project proposal                                                                                           | शासन द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए स्वीकृत परियोजना के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हेतु वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                  |
| 21 | The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;                         | भारत सरकार के स्वीकृति के बिना व्यपवर्तित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य विभाग/व्यक्ति/एजेंसियों को हस्तांतरित नहीं की जायेगी। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                |
| 22 | Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11 -42/2017-FC dt- 29/01/2018         | विभाग द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देश के तहत कार्यवाही की जाती है, तो विभाग द्वारा उसे मान्य की जायेगी। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                         |
| 23 | Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife; | कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य सरकार या नोडल अधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत समय-समय पर वन के संरक्षण, वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण एवं विकास के हित में निर्देश जारी की जाती है, तो उसे पालन करने के लिए विभाग वचन बद्ध है। सहमत, वचन पत्र संलग्न है। |
| 24 | The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> )                                                                           | कार्य पूर्णता रपट को ई-पोर्टल (परिवेश) में अपलोड करने हेतु छ.ग.स्टेट पॉवर ट्रांस.कं.लिमि. वचन बद्ध है। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                    |

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(वाई0 एस0 नागवंशी)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग

छ. ग. स्टेट. पॉ. ट्रांस. कं. लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय- कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 कै.व्ही. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं.+91 8225021555**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 01

**शर्त**

Legal status of the forest land shall remain unchanged.

**पालन**

विभाग वन भूमि की कानूनी स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगा, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है।

  
 (वाइड एस० नागवंशी)

 कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
 छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय- कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.वी. राब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साइट [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in) ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं.+91 8225021555**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 02

**शर्त****Compensatory afforestation**

(a) Compensatory afforestation shall be taken up by the User Agency carried out in non-forest land of 3.24 ha. in khasra No. 92 at Beat- Ghotulmunda, Range – Durgukondal, Village- Ghotulmunda, District- Kanker at the cost of the User Agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species along with 10% RET species of Kanker District shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

**पालन**

गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित क्षेत्र के बदले पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के अंतर्गत ग्राम – घोटुलमुण्डा, खसरा नं. 92 रकबा 3.240 हे. में उपलब्ध कराई गई राजस्व भूमि पर स्थानीय स्वदेशी प्रजाति के वृक्षारोपण हेतु विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि 31,31,998 एवं सबस्टेशन वन भूमि हेतु NPV की राशि 46,54,810 इस प्रकार कुल राशि 77,86,808 ई-चालान के माध्यम से दिनांक 26.07.2023 को कैम्पा मद में जमा की गई है एवं उपलब्ध कराई गयी राजस्व भूमि पर किसी प्रकार का मोनोकल्चर का कार्य नहीं किया जायेगा।

(वाई0 एस0 नागवंशी)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय- कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.व्ही. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं.+91 8225021555**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 03

**शर्त**

The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

**पालन**

वर्तमान में प्रचलित 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण के दर के अनुसार वृक्षारोपण की राशि ई-चालान जनरेट कर कैम्पा मद में जमा की गई है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित (चिन्हित) राजस्व भूमि के सीमांकन के लिये पिल्हर्स लगाये जाने हेतु राशि की मांग की जाती है तो मांग के अनुसार राशि जमा करने के लिये विद्युत विभाग वचनबद्ध है।

(वाई0 एस0 नागवंशी)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय- कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.व्ही. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल- [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं.+91 8225021555**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 04

**शर्त**

Number of plants to be planted over Non-Forest Land identified for CA, shall be at least 1000 plants per hectare. If the requisite number of plants@1000/ha cannot be planted on the non-forest land identified for taking up CA, then the balance number of the plants will be planted in degraded forest land as per the provisions of working plans. The State government will intimate to the MoEF&CC the names of the R.F./P.F. in which the balance seedlings will be planted. The User Agency will deposit the cost of planting (including maintenance for ten years). The forest department shall provide the details of plantation of remaining plants along with compliance report.

**पालन**

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित राजस्व भूमि में निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य कराया जावेगा।

  
 (वाई0 एस0 नागवंशी)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.व्ही. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं. +91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 05

**शर्त****NPV**

(b) Additional amount of NPV of diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble supreme Court of india on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State from the user Agency, The user Agency shall furnish an under taking to this effect:

**पालन**

प्रकरण के विरुद्ध गैर वानिकी कार्य के लिये व्यपवर्तित वन भूमि रकबा 3.240 हे. के लिए निर्धारित प्रत्याशा मूल्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्याशा मूल्य की गणना की जाती है तो अन्तर की राशि को राज्य सरकार या वन विभाग द्वारा मांग की जाती है तो विद्युत विभाग पुनरीक्षित प्रत्याशा मूल्य के अन्तर की राशि को जमा करने हेतु बाध्य है।

(वाई0एस0 नागवंशी)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग

छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.व्ही. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं. +91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 06

**शर्त**

The Total project affected trees are 160 comprised of 77 trees above 90 cm girth and the remaining 83 trees below 90 cm girth class. Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the state forest department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the state forest department.

**पालन**

परियोजना से प्रभावित कुल 160 नग पेड़ों की कटाई तभी की जावेगी, जब यह अपरिहार्य हो। पेड़ों की कटाई हेतु वन विभाग द्वारा विदोहन योजना के अनुसार राशि की मांग किये जाने पर विद्युत विभाग जमा करने के लिये वचनबद्ध है। सहमत, वचन पत्र संलग्न है।

  
 (वाई0 एस0 नागवंशी)  
 कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
 छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.वी. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं.+91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 07

**शर्त**

All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in>)

**पालन**

परियोजना के तहत उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा समस्त राशि को कैम्पा मद में जमा की गई है।

  
 (वाई0 एस0 नागवंशी)  
 कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
 छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.वी. राव-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं. +91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 08

**शर्त**

The distribution line from the substation should be up to 7 metres (22 to 23 feet)

**पालन**

सबस्टेशन से वितरण लाईन 7 मीटर की उंचाई से कम नहीं रखा जायेगा इस हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं. लिमि. वचनबद्ध है।

(वाई0 एस0 नागवंशी)  
 कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
 छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.वी. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट- [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल- [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं.+91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 09

**शर्त**

The wires from the substation to the distribution lines should be insulated cables to prevent hooking by rural farmers. Thereby preventing the possibility of elephant death.

**पालन**

सबस्टेशन से निकलने वाले वितरण लाइनों से तारों को इनसुलेटेड करने हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि. वचनबद्ध है।

(वाई0 एस0 नागवंशी)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.व्ही. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं.+91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 10

**शर्त**

The boundary wall of the substation must be elephant proof.

**पालन**

कार्य प्रारंभ होने के उपरांत उपकेन्द्र के बाउंड्री वॉल को हाथीरोधी बनाने हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि. वचनबद्ध है।

(वाई0 एस0 नागवंशी)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CJN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.वी. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं. +91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 11

**शर्त**

The State Government of Chhattisgarh Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule 9 (6) (b)(ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022

**पालन**

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (वन अधिकारों की बाध्यता) अधिनियम 2006 में दी गई दिशा निर्देशों/अधिनियमों के पालन पश्चात् ही विभाग भूमि सौंपने का आदेश जारी करेगा, जिसके लिये विद्युत विभाग सहमत है।

(वाई० एस० नागवंशी)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.वी. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं. +91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 12

**शर्त**

To improve the Forest/Tree Cover and to reduce pollution in the state as mandated in National Forest policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986 respectively the User Agency in consultation with local DCF shall raise at least 1500 seedlings of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local for 10 years. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in the vicinity of project area including forest area and for hand holding with local people residing in vicinity of proposed road. User Agency shall voluntarily distribute remaining 50% of seedlings as per choice of villagers free of cost. A compliance report including species wise details of seedlings raised. Location of plantation area and details of villagers whom seedlings have been distributed need to be prepared every six month and submitted to Regional Office of MoEF&CC

**पालन**

प्रदूषण को कम करने में वन आवरण में सुधार के लिये बनाई गई अधिनियम के परिपालन में वन विभाग के निर्देशानुसार 1500 फलदार, बांस, औषधीय स्वदेशी प्रजाति के 10 वर्षीय रखरखाव सहित वृक्षारोपण का कार्य परियोजना क्षेत्र के आस पास के क्षेत्र में स्थानीय लोगों के मदद रोपण का कार्य करेगा, इसके अतिरिक्त अन्य शर्तें भी विद्युत विभाग को मान्य है। जिसके लिये विद्युत विभाग वचनबद्ध है।

(वाई0 एस0 नागवंशी)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
छ. स्टेट.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.व्ही. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं. +91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 13

**शर्त**

User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;

**पालन**

आवश्यक होने पर प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की जावेगी, जिसके लिये विद्युत विभाग वचनबद्ध है।

(वाई0 एस0 नागवंशी)  
कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.व्ही. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं.+91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 14

**शर्त**

The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government;

**पालन**

राज्य सरकार के बिना अनुमति पूर्व स्वीकृत परियोजना के ले-आउट प्लान में परिवर्तन नहीं की जावेगी।

  
 (वाई0 एस0 नागवंशी)  
 कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
 छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 कै.व्ही. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं.+91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 15

**शर्त**

No Labour camp shall be established on the forest land;

**पालन**

वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं की जावेगी।

(वाई0 एस0 नागवंशी)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 कै.व्ही. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं.+91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 16

**शर्त**

Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the forest department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;

**पालन**

प्रस्तावित सब स्टेशन के कार्य प्रारंभ होने पर काम करने वाले श्रमिक/कर्मचारियों को वैकल्पिक रूप से ईंधन की आपूर्ति की जावेगी।

  
 (वाई0 एस0 नागवंशी)  
 कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
 छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 कै.व्ही. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं.+91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 17

**शर्त**

The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

**पालन**

वनमण्डलाधिकारी के निर्देशानुसार व्यपवर्तित वन भूमि के बाउंड्रीवॉल को परियोजना व्यय अनुरूप उपयुक्त रूप से चिन्हांकित किया जावेगा।

(वाई0 एस0 नागवंशी)  
कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.व्ही. राव-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं.+91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 18

**शर्त**

No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work:

**पालन**

परियोजना कार्य में वनभूमि पर कोई भी अतिरिक्त या नवीन मार्ग निर्माण नहीं किया जावेगा।

(वाई0 एस0 नागवंशी)  
कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.व्ही. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in) ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं. +91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 19

**शर्त**

The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;

**पालन**

प्रत्यावर्तन प्रकरण में लीज या परियोजना जीवन हेतु शर्त छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि. को मान्य है।

(वाई0 एस0 नागवंशी)  
कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 कै.व्ही. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं. +91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 20

**शर्त**

The forest land shall not be used for any purpose other than that specification in the project proposal

**पालन**

शासन द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए स्वीकृत परियोजना के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हेतु वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(वाई0 एस0 नागवंशी)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX



# छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर

132 के.व्ही. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं.+91 8225021555

## वचन पत्र

\*\*\*\*\*

## शर्त क्रमांक

अनुसूची की शर्त क्र. 21

## शर्त

The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;

## पालन

भारत सरकार के स्वीकृति के बिना व्यपवर्तित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य विभाग/व्यक्ति/एजेंसियों को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।

  
 (वाई0 एस0 नागवंशी)  
 कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
 छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 कै.व्ही. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं. +91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 22

**शर्त**

Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11 -42/2017-FC dt- 29/01/2018

**पालन**

विभाग द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देश के तहत कार्यवाही की जाती हैं, तो विभाग द्वारा उसे मान्य की जायेगी।

(वाई0 एस0 नागवंशी)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 के.वी. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं.+91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 23

**शर्त**

Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;

**पालन**

कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य सरकार या नोडल अधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत समय-समय पर वन के संरक्षण, वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण एवं विकास के हित में निर्देश जारी की जाती है, तो उसे पालन करने के लिए विभाग वचन बद्ध है।

(वाई0 एच0 नागवंशी)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर

CLIN - U40108CT2003SGC015820

GSTN22AADCC5773E1ZX

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, कांकेर**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि. मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

**कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, कांकेर**

132 कै.व्ही. सब-स्टेशन कॉलोनी, गोविंदपुर, कांकेर (छ.ग.), पिन-494334

वेब साईट - [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ई-मेल - [civil.dn.kanker@gmail.com](mailto:civil.dn.kanker@gmail.com), संपर्क नं. +91 8225021555**वचन पत्र**

\*\*\*\*\*

**शर्त क्रमांक**

अनुसूची की शर्त क्र. 24

**शर्त**The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)**पालन**

कार्य पूर्णता रपट को ई-पोर्टल (परिवेश) में अपलोड करने हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि. वचन बद्ध है।

(वाई0 एस0 नागवंशी)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग  
छ. स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., कांकेर